



2026:AHC:15660

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44290 वर्ष 2025

वीरेंद्र यादव एवं 2 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देवोत्तम पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अमरीश तिवारी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है। आज दाखिल अनुपूरक हलफनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री देवोत्तम पाण्डेय, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, श्री अमरीश तिवारी, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, तथा श्री अभिषेक मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान अपर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

3. आवेदकगण द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 382 वर्ष 2025, धारा 103(1), 191(1), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2025, थाना-बैरिया, जनपद-बलिया में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त राहुल यादव को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 44503 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदकगण को आरोपित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, सिवाय एक मामले के, जो अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आवेदक संख्या-1 के विरुद्ध लंबित है, जिसमें अभी जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाना शेष है। आवेदकगण दिनांक 18.03.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है, अतः समानता के आधार पर आवेदकगण भी जमानत पाने के अधिकारी हैं। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आवेदकगण जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
5. सूचक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया गया, तथापि सह-अभियुक्त को दी गई जमानत के आधार पर समानता के उक्त तथ्य का प्रभावी रूप से खंडन नहीं किया गया।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, (2020) 11 SCC 648 में प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध अनेक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा जमानत का मामला बनता हो।

7. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा *नन्हा पुत्र नभान खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, 1993 Cri.L.J. 938 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *परस राम विष्णोई बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो निदेशक*, MANU/SCOR/22410/2021 एवं *सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य*, (2022) 10 SCC 51 में पारित निर्णयों के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदकगण जमानत पाने के अधिकारी हैं। अतः समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदकगण वीरेंद्र यादव, सुदामा यादव एवं प्रभुनाथ यादव, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

- (i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- (ii) आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित / धमकाएंगे नहीं।
- (iii) आवेदकगण नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां विचारण न्यायालय को गवाहों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

रवि कांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।